



उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

दूरभाष: 0135-2662971 / फ़ैक्स: 2662334

पत्रांक : 274 / सू.एवंलो.स.वि. (प्रेस) 42/2011

देहरादून: दिनांक 19 मई, 2017

विज्ञप्ति

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा दिवंगत पत्रकार "स्व. राम प्रसाद बहुगुणा की स्मृति" को चिरस्थायी बनाये जाने के लिए पात्र पत्रकारों से उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 231/XXII/2011-2(7)2011 दिनांक 06 सितम्बर, 2011 तथा शासनादेश संख्या 323/XXII/16-2 (7) 2011 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत एक वरिष्ठ पत्रकार को राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु इच्छुक पत्रकार, जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हो, से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. वरिष्ठ पत्रकार की आयु कम से कम 55 हो।
2. पत्रकार का पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कार्य करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा गत 15 वर्षों से उत्तराखण्ड में नियमित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हो।
3. पत्रकार का व्यवसाय पूर्णतः पत्रकारिता होना चाहिए।
4. पत्रकार के सामाजिक/सांस्कृतिक/ऐतिहासिक/विकासात्मक/रचनात्मक आदि विषयों पर नियमित रूप से लेख/स्टोरी प्रकाशित/प्रसारित हुई हों।

अतः इस सम्बन्ध में पात्र पत्रकार विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर उपरोक्त की पुष्टि में प्रमाणित अभिलेख तथा प्रकाशित/प्रसारित सामग्री सहित अपने प्रस्ताव महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून के नाम भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। पुरस्कार हेतु पत्रकार का चयन गठित समिति द्वारा किया जायेगा।


(चन्द्र शेखर भट्ट)
महानिदेशक